फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान – जमना बाई व अन्य बनाम शीतल सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा :– 188, 207, 209 रेविन्यू प्रकरण सं. :– 115/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15/4/25	पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उभय पक्ष अन्य पार कारिगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत डिक्री अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। डिक्री तैयार गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2016/00205

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 115/2016 (2016/00205) **दायरा दिनांकः– 31.05.2016**

–: अनवान :–

1. जमना बाई पत्नी बूड़सिंह
2. सुखविन्द्रसिंह पुत्र बूड़सिंह

जाति रायसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....वादीगण

बनाम

1. शीतलसिंह पुत्र नादरसिंह(तथाकथित बूड़सिंह पुत्र हुक्मसिंह) जाति रायसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
3. उप–पंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादीगण
2. श्री जसवीरसिंह बराड़, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 15.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने प्रतिवादी न. 1 के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पति/पिता बूड़सिंह पुत्र हुक्मसिंह के नाम से चक 6 एन.आर.डी. के पत्थर नम्बर 91/319 मु.न. 9 के किला नम्बर 1 ता 25/1 में 6.200 हैक्टेयर कंमाड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। वादीगण के पति/पिता का स्वर्गवास हो गया हैं जिसका विरासतन इन्तकाल दर्ज हो गया हैं। इस विरासतन इन्तकाल के विरूद्ध प्रतिवादी न. 1 शीतलसिंह नाम के व्यक्ति ने अपने आप को बूड़सिंह बता कर इसी अदालत में इन्तकाल के विरूद्ध अपील की जो दिनांक 18.11.2015 को अपील स्वीकार कर पत्रावली पुनः जांच कर पुनः इन्तकाल दर्ज करने हेतु रिमांड की गई। इस आदेश के विरूद्ध वादीगण ने अपील माननीय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर की अदालत में पेश की गई जो दिनांक 26.09.2018 को वादीगण की अपील स्वीकार करते हुए इस अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 को निरस्त कर ग्राम पंचायत निरवाना द्वारा वादीगण के पक्ष में तस्दीक इन्तकाल संख्या 103 दिनांक 20.02.2014 को बहाल कर दिया। वादीगण का दावा हैं कि प्रतिवादी न. 1 शीतलसिंह जो अपने आप को गलत रूप से बूड़सिंह बताता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हैं, वह धमकियां देता हैं कि वह जैरवाद भूमि में जबरिया घुस कर कब्जा करेगा। इसलिए प्रतिवादी न. 1 के विरूद्ध चिरस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे कि वो वादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी जैरवाद भूमि में किसी प्रकार से मदालखत बेजा ना तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण हाजिर अदालत आये व प्रतिवादी न. 1 की तरफ से दिनांक 13.06.2017 को उनका अभिभाषक हाजिर अदालत आकर अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। लम्बे समय तक प्रतिवादी न. 1 द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 17.10.2019 को जवाबदावा बंदकर दिया गया व प्रतिवादी न. 3 भी हाजिर अदालत नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 23.10.2020 को वाद पत्र में तनकीयात कायम कर साक्ष्य वादीगण करवाये जाकर बहस सुनी गई। वाद पत्र का निर्णय तनकीवार किया जाना कानूनसम्मत होगा।

तनकी न. 1 – आया जैरवाद भूमि जो अनुतोष क में वर्णित हैं, के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने वाद पत्र के साथ जैरवाद भूमि की जमाबंदी चक 6 एन.आर.डी. संवंत 2070 ता 2073 प्रस्तुत की है जो पहले बूड़सिंह पुत्र हुक्मसिंह के नाम से हैं जो वादी न. 1 का पति व वादी न. 2 का पिता था व उनके स्वर्गवास हो जाने पर उनके जायज वारिसो के नाम से विरासतन इन्तकाल दर्ज हो जाने से वादीगण बतौर खातेदार रिकार्ड में दर्ज हैं व साक्ष्य से भी वादीगण ने अपने बयानो में शपथपूर्वक जैरवाद रकबा उनके नाम से खातेदारी का दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं। इन बयानो के विरूद्ध व जमाबंदी को गलत साबित करने का कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं आने से वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध किया हैं कि जैरवाद भूमि उनके नाम से खातेदारी होकर कब्जा काश्त में हैं। यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी न. 2 – आया वादीगण जैरवाद अपनी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न. 1 के द्वारा वादी की भूमि में कब्जा काश्त में दखल न करने बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने का हकदार हैं?

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादी पर था। प्रतिवादी न. 1 ने न तो अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया व न ही कोई साक्ष्य करवाये। वादीगण ने साबित किया हैं कि जैरवाद भूमि उनकी खातेदारी की हैं। प्रतिवादी न. 1 का जैरवाद भूमि में किसी प्रकार का कोई हित नहीं हैं वह गलत रूप से अपने आप को बूड़सिंह बताकर जबरिया जैरवाद भूमि में घुसना चाहता हैं। जैरवाद भूमि वादीगण को विरासतन प्राप्त होकर कब्जा काश्त में चली आ रही हैं जिसमें प्रतिवादी न. 1 को कोई अधिकार नहीं हैं कि वह वादीगण के कब्जा काश्त मे मदालखत बेजा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती हैं।

अन्य अनुतोष – दोनो तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में होने से वादी ही अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन व मनन करने व संबंधित कानून की व्याख्या करने के उपरान्त वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर उनके पक्ष में डिक्री जारी की जानी कानूनसम्मत हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि चक 6 एन.आर.डी. के पत्थर नं. 91/319 मु.न. 9 के किला नम्बर 1 ता 25/1 की 6.200 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जा की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी न. 1 किसी प्रकार से मदालखत बेजा न तो स्वंय करे व न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम जारी की जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:40 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. जमना बाई पत्नी बूड़सिंह
2. सुखविन्द्रसिंह पुत्र बूड़सिंह

} जाति रायसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....वादीगण

बनाम

1. शीतलसिंह पुत्र नादरसिंह(तथाकथित बूड़सिंह पुत्र हुक्मसिंह) जाति रायसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
3. उप–पंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 115 वर्ष 2016 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री जसवीर सिंह बराड़ व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि चक 6 एन.आर.डी. के पत्थर नम्बर 91/319 मु.न. 9 के किला नम्बर 1 ता 25/1 की 6.200 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जा की भूमि में प्रतिवादी न. 1 किसी प्रकार से मदालखत बेजा न तो स्वंय करे व न ही किसी अन्य से करावें।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.04.2025 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:40 IST
Reason: SelfAttested